(20) (20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/झाबुआ/भूरा/2017/4666 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-09-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 570/अपील/2016-17

1-गोरधनसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत
निवासी 24 लक्ष्मीनगर रतलाम
2-भारतसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत
निवासी जलधारी की गली रतलाम
3-श्रवणसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत
निवासी जलधारी की गली जिला रतलाम

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1-देवूलाल उर्फ देवीसिंह पिता रतनसिंह राजपूत
2-मनोहरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत
3-दलपतसिंह पिता रतनसिंह राजपूत
4-कृष्णकवंर बेवा रतनसिंह राजपूत
5-गोपालसिंह पिता धन्नाजी राजपूत
6-नरसिंह पिता धन्नाजी राजपूत
7-करणसिंह पिता धन्नाजी राजपूत
सभी निवासीग्राम गांगाखेडी तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री अजय कानूनगो, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1,2,3,5,6 व 7

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला झाबुआ के समक्ष संहिता की धारा 107(5) एवं धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि ग्राम गंगाखेडी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ स्थिति कृषि सर्वे नम्बर 542 तथा 546 कुल रकबा 0.740 हेक्टेयर पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपीलार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उक्त भूमि बंदोबस्त पूर्व वर्ष 1981-82 अनुसार सर्वे क्रमांक 717 रकबा 0.890 हेक्टेयर से निर्मित हुई है, किन्तु बंदोबस्त के पश्चात् इस भूमि के खेत नक्शे की सीमा तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाने से उक्त भूमि में से कुल रकबा 0.150 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम हो गया है तथा अपीलार्थीगण को माह मार्च 2013 में बंदोबस्त पूर्व की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त होने पर उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर उक्त त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण दर्ज कर जॉच की जाकर दिनांक 8-8-17 द्वारा उक्त आवेदन निरस्त किया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-9-17 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि बंदोबस्त अवधि के समय रकबे और नक्शे में जो त्रुटि कारित की हुई है, वह बंदोबस्त अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में अवधि विधान की बाध्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उसे मार्च

2013 में संबंधित राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्राप्त हुई। जानकारी अनुसार जानकारी दिनांक से नियत तिथि में प्रस्तुत किया गया। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। बंदोबस्त अवधि पश्चात् त्रुटि सुधार एवं भूल सुधार हेतु संहिता में कहीं भी एक वर्ष की अवधि के भीतर का प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसे प्रावधान को लागू करने में कलेक्टर द्वारा विधि की घोर अवहेलना की गई है। भूल सुधार हेतु एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए तहसीलदार को धारा 115-116 में अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा की गई भूल एवं त्रुटि को सुधारकर प्रविष्टि को सुधार सके, जबिक धारा 89 एवं 107(5) में कहीं पर भी बंदोबस्त में हुई रकबे एवं नक्शे की त्रुटि को सुधारने बाबद कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है।

(2) कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद की अनुशंसा को भी ध्यान में न रखकर आदेश पारित करने में घोर त्रुटि कारित की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर से इस बात की अनुशंसा की है कि स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय जांच में वर्ष 1986-87 में हुए बंदोबस्त के दौरान त्रुटि होकर रकबे एवं नक्शे की आकृति में जो परिवर्तन कर दिया गया है, उसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस अनुशंसा पर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(3) यह विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा कारित भूल एवं त्रुटि से हुई क्षति के संबंध में अवधि विधान की बाध्यता नहीं रहती है। इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण के आवेदन को बंदोबस्त अवधि के 35 वर्षों पश्चात् प्रस्तुत करने को विलंब से प्रस्तुत करना माना है, जो विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होगा।

(4) कलेक्टर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुशंसा के साथ राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ट्रेस नक्शा जिसमें लाल स्याही से त्रुटि को एवं कम हुए रकबे को दर्शित किया गया है, उस पर भी ध्यान न देकर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है।

उक्त तर्कों के समर्थन में राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्याय दृष्टात 2015 राजस्व निर्णय 560 प्रस्तुत किया गया है। अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ प्रत्यर्थी क्र. 1 से 3 एवं 5 से 7 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 107(5) एवं 89 के नियमों, प्रावधानों, तथ्यों एवं साक्ष्य का पूर्ण विधिक विवेचन कर विधिक आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कानून से कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी क्र. 4 कृष्ण कुंवर पति स्व. रतनसिंह राजपूत की वर्ष 2016 में मृत्यु हो जाने के बाद भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जिससे भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मृत पक्षकार के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 1981-82 में हुए बंदोबस्त के लगभग 35 वर्ष पश्चात् त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का कोई विधिक आधार नहीं बताये जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी न्यायसंगत कार्यवाही की है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई कानूनी आधार इस द्वितीय अपील में नहीं होने से सदर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि 35 साल बाद बन्दोबस्त में हुई त्रुटि को सुधारने का प्रयास है । इस बीच बंटवारेभी हो चुके है । मंदिर को भूमि दान भी दी गई है । स्पष्ट है कि 35 साल बाद भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होने से 35 साल पूर्व की स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता । अत: इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किये जाने का कोई भी पर्याप्त आधार इस अपील में नहीं है ।

इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर